## राष्ट्रीय लोक अदालत "न्याय आपके द्वार 2016"

# न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 49/2016

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| 1. गोविन्दराम उर्फ गोमंदराम पुत्र जेठाराम<br>2. शांति पत्नी दुर्गाराम<br>3. पुरखाराम पुत्र दुर्गाराम<br>4. डूंगरराम पुत्र दुर्गाराम जातियान मेघवाल निवासीगण उंटवालिया तहसील व जिला नागौर। | | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर |

वाद वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती व घौषणा खातेदारी

### निर्णय

दिनांक :— 11.07.2016

वादीगण की ओर से निम्न वाद पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि :—

1 यह है कि, वादीगण के कब्जा काश्त पुश्तेनी खातेदारी की भूमि हाल खसरा नं. 724 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 725 रकबा 08 बिस्वा गे. मु. ढाणी, खसरा नं. 756 24 बीघा, खसरा नं. 775 रकबा 28 बीघा, खसरा नं. 827 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा वाके सरहद मौजा उंटवालिया तहसील नागौर है नकल खतौनी साथ पेश है।

2 यह है कि, वादीगण स्व. जेठाराम पुत्र हुक्माराम के उतराधिकारीगण है जो सभी स्व. थानाराम के वारीस है।

3 यह है कि, उपरोक्त खेताय वादीगण के पुश्तेनी खेताय है वादीगण की बहिने व भुआ धापु व चेनी से वादीगण के हक में तर्कनामा दिनांक 6.1.2016 को निष्पादित कर उप पंजियक कार्यालय में पंजियन करवा दिया जिसके जरिये उनका कथित हिस्सा वादीगण में निहित हो गया, जिससे उक्त धापु व चेनी को वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं होने से पक्षकार दर्ज नहीं किया गया है। तर्कनामा की प्रति साथ पेश है।

4 यह है कि, वादग्रस्त आराजी की खतौनी में दर्ज मोटाराम पुत्र छोटाराम कुंवारा नाऔलाद दिनांक 15.12.1970 को फौत हो चुका है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र साथ पेश है व उक्त मोटाराम के विधिक उतराधिकारीगण वादीगण ही है अन्य कोई उसके उतराधिकारी नहीं है इस बाबत ग्राम पंचायत उंटवालिया का वारीस प्रमाण पत्र दिनांक 20.2.2016 की प्रति साथ पेश है।

5 यह है कि, खतौनी में दर्ज जेठाराम की मृत्यु दिनांक 7.7.2011 को हो चुकी है व जेठाराम के पुत्र दुर्गाराम की मृत्यु दिनांक 18.11.2008 को हो चुकी है जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतियां पेश है व ग्राम पंचायत का उतराधिकारी प्रमाण पत्र भी साथ पेश है। जिसके अनुसार जेठाराम के पीछे वादीगण व उक्त धापु एवं चेनी वारीस हुऐ लेकिन धापु व चेनी ने अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष में उक्त पंजिबद्ध तर्कनामा के जरिये तर्क कर दिया जिससे उक्त आराजी के एक मात्र मालिक, हकदार वास्तविक खातेदारी वादीगण ही हुऐ, रहे व है मगर खतौनी में अभी तक वादीगण का नाम दर्ज नहीं होने व मोटाराम एवं जेठाराम का ही नाम दर्ज हो रखा होने से वादीगण को उक्त अनुसार रेकर्ड दुरूस्ती व घौषणा खातेदारी हेतु वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

6 यह है कि, खतौनी में दर्ज मोटाराम का नाम हटाया जाना व जेठाराम के विधिक उतराधिकारी वादीगण होने से उनके नाम खातेदारी घौषित कर रेकर्ड में दर्ज करवाई जाना आवश्यक व न्याय संगत है व ऐसी डिकी प्राप्त करने का वादीगण को विधिक अधिकार है जिस हेतु वाद पेश है।

7 यह है कि, बिनायवाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी एक मात्र

वादीगण की कब्जासुद हक अधिकार की पुश्तेनी जमीन होते हुऐ भी व वादीगण के हक में रजिस्टर्ड तर्कनामा होते हुऐ भी वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने व मोटाराम का नाम खतौनी में दर्ज हो रखा होने से बमुकाम उंटवालिया तहसील नागौर में पेदा हुआ।

8 यह है कि, वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा उंटवालिया तहसील नागौर में स्थित होने से वाद हाजा न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का है।

9 यह है कि, वाद हाजा में भूमिधारी तहसीलदार आवश्यक पक्षकार होने से उनको प्रतिवादी पक्षकार बनाकर वाद पेश किया जा रहा है।

10 यह है कि, वादीगण की प्रार्थना है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे –

अ – कि विवादित पुश्तेनी आराजी हाल खसरा नं. 724 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 725 रकबा 08 बिस्वा गे. मु. ढाणी, खसरा नं. 756 रकबा 24 बीघा, खसरा नं. 775 रकबा 28 बीघा, खसरा नं. 827 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा वाके सरहद मौजा उंटवालिया तहसील नागौर की खतौनी में से मोटाराम का नाम हटाया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती करते हुऐ जेठाराम के एक मात्र विधिक उतराधिकारी वादीगण होने से उक्त खेताय वादीगण कि कब्जे काश्त खातेदारी के घोषित करावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी की तरफ से जवाब प्रस्तुत किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में वादी गोविन्दराम एवं डूंगरराम के बयान करवाये।

पत्रावली न्याय आपके द्वार लोक अदालत न्यायालय में हाजा में पेश हुई। वादी वकील को सुना गया। वादी वकील ने बहस के समर्थन में वाद पत्र के तथ्यो पर बल दिया। पत्रावली के साथ प्रस्तुत नकल खतौनी प्रदर्श 1 में वादग्रस्त खेताय जेठाराम पुत्र हुक्माराम, मोटाराम पुत्र छोटूराम कौम मेघवंशी की सहखातेदारी में दर्ज है। खातेदार जेठाराम का स्वर्गवास दिनांक 07.07.2011 को हो चुका है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 2ए है एवं खातेदार मोटाराम का स्वर्गवास दिनांक 15.12.1970 को हो चुका है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 6ए है। वादग्रस्त खेताय में दर्ज सहखातेदारो का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके पीछे वारिसान वादीगण ही है एवं खतौनी में दर्ज सहखातेदार मोटाराम कुंवारा ही नाऔलाद फौत हो चुका है।

उपरोक्त विवेचन से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 724, 725, 756, 775, 827 मौजा उटवालिया तहसील नागौर वादीगण संख्या 1 से 4 की सहखातेदारी में घोषित किया जाता है। खातेदार मोटाराम नाऔलाद कुंवारा ही फौत हो जाने से राजस्व रेकर्ड से स्व. मोटाराम का नाम हटाया जाता है। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) नागौर

आदेश दिनांक 11.07.2016 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) नागौर

## —: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर :—

## डिगरी बमुकद्दमे इब्तदाई

## (ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| 1. गोविन्दराम उर्फ गोमंदराम पुत्र जेठाराम<br>2. शांति पत्नी दुर्गाराम<br>3. पुरखाराम पुत्र दुर्गाराम<br>4. डूंगरराम पुत्र दुर्गाराम जातियान मेघवाल निवासीगण उंटवालिया तहसील व जिला नागौर। | | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर |

दावा राजस्व मुकद्दमा 49/2016 सन् 2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .......... व हाजरी.......... मिनजानिब मुद्दई व .......... मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि खसरा नम्बर 724, 725, 756, 775, 827 मौजा उटवालिया तहसील नागौर वादीगण संख्या 1 से 4 की सहखातेदारी में घोषित किया जाता है। खातेदार मोटाराम नाऔलाद कुंवारा ही फौत हो जाने से राजस्व रेकर्ड से स्व. मोटाराम का नाम हटाया जाता है।

.......... लीज.......... मुबलिक.......... बाबत्.......... खर्चा इस मुकद्दमे मय सूद व शहर.......... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.......... को अदा करें।

बसीब्त तेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 07 सन् 20 16

दस्तखत [signature]
ओहदा [stamp: सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर]

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुद्दयला | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालत नामा | | |
| स्टाम्प वकालत नामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सावूत | | | मेहनताना वकील | | |
| मेहनताना वकील | | | खर्चा गवाहन | | |
| खर्चा गवाहन | | | फीस कमीशनर | | |
| फीस कमीश्नर | | | बाबत् इजसय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मीजान | | | मुतफर्रिक | | |
| मुतफर्रिक | | | मिजान | | |